माउंटबेटन योजना
Mountbattan Plan

लॉर्ड वैवेल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन 23 मार्च 1947 को भारत के वायसराय नियुक्त हुए। उन्हें ब्रिटिश सरकार का आदेश था कि वे 30 जून 1948 के पहले भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण करा दें। वैवेल के जगह माउंटबेटन को वायसराय बनाने का उद्देश्य था कि भारत-विभाजन का कार्य शीघ्र से शीघ्र संपन्न हो। उन्होंने अपना कार्य बड़ी तत्परता से शुरु कर दिया। विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत भी शुरु कर दी। मुस्लिम लीग भारत के विभाजन पर डटी हुई थी। माउंटबेटन की झुकाव इस तरफ था। कांग्रेस भी इस समय तक इस निश्चय पर पहुँच चुकी थी कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। लार्ड माउंटबेटन स्थिति का अध्ययन करके ब्रिटिश मंत्रिमंडल से परामर्श करने लंदन गए। वहाँ से लौटकर 3 जून 1947 को उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की। इसे 'माउंटबेटन योजना' कहते हैं। योजना को प्रकाशित करने के पहले माउंटबेटन ने कांग्रेस, लीग और सिख समुदाय के नेताओं से स्वीकृति ले ली थी।

माउंटबेटन योजना की मुख्य बातें :— योजना की मुख्य बातों को उल्लेख करने से पहले यह कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार ने मंत्रिमंडल मिशन योजना में भारत के दोनों महत्वपूर्ण दलों से सहयोग की आशा की गयी थी, लेकिन यह पूरी नहीं हुयी। मुस्लिम लीग ने संविधान निर्माण में सहयोग देने से इनकार कर दिया। अतः देश के उन क्षेत्रों पर संविधान सभा के विचारों को लादना उचित नहीं समझा गया जो उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अतः संविधान के निर्माण के संबंध में उन क्षेत्रों का विचार जानने की प्रक्रिया की चर्चा की गई थी। योजना मुख्य बातें निम्नलिखित रूप में थीं।

Scanned with CamScanner

(i) ब्रिटिश सरकार की इच्छा है कि वह भारत का शासन शीघ्रही जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को सौंप दे।
(ii) ब्रिटिश सरकार यह नहीं चाहती है कि वर्तमान संविधान सभा के कार्य में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित की जाए।
(iii) वर्तमान संविधानसभा द्वारा निर्मित संविधान को देश के उन भागों में कार्यान्वित न किया जाए जो उसको स्वीकार नहीं करते हो।
(iv) वर्तमान संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को स्वीकार नहीं करने वाले क्षेत्रों की इच्छा को जानने के लिए एक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। इस प्रक्रिया के अनुसार पंजाब और बंगाल की विधान सभाओं के अधिवेशन को दो भागों में बुलाने का प्रस्ताव था।
(v) सिंध की विधानसभा भी इस प्रश्न पर निर्णय करेगी।
(vi) उत्तर-पश्चिम सीमाप्रांत के विषय में निर्णय जनमत संग्रह द्वारा किया जाएगा।
(vii) चूँकि असम के सिलहट जिले में मुसलमानों का बहुमत है, अतः इस बात का निर्णय जनमत संग्रह द्वारा किया जाएगा कि वहाँ की जनता असम में रहना चाहती है या पूर्वी बंगाल में।
(viii) देशी रियासतों के संबंध में उसी योजना तथा व्यवस्था को स्वीकार किया जाएगा जिसका निर्धारण मंत्रिमंडल योजना में किया गया था।
(ix) यदि उपर्युक्त क्षेत्र-विभाजन के आधार को मुसलमान स्वीकृति देते है तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक कमिशन की नियुक्ती की जाएगी।
(x) ब्रिटिश सरकार 1948 ई० तक सत्ता हस्तांतरित करने की पतीक्षा नहीं करेगी, बल्कि इस कार्य को 1947 में ही समाप्त करना चाहती है।

मौलाना आजाद ने माउंटबेटन योजना के प्रकाशन के बाद कहा था कि भारत की एकता को बनाए रखने की सारी आशाएँ समाप्त हो गयी।

मुस्लिम लीग ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। शुरू में कांग्रेस इस योजना के विरुद्ध थी, बाद में कांग्रेस ने भारत-विभाजन को स्वीकार कर लिया।

Scanned with CamScanner

विभाजन को लागू करने के लिए 7 जून 1947 को एक विभाजन समिति (Partition Committee) का निर्माण किया गया। इसने भारत और पाकिस्तान के सैनिक संगठन के पुनर्निर्माण के सिद्धान्तो को तय किया। सर रेडक्लिफ (Sir Radcliff) की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग की नियुक्ति की गई। इसका कार्य बंगाल और पंजाब के विभाजित क्षेत्रों को निर्धारित करना था।

जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम (The Indian Independence Act 1947) पारित किया। इस अधिनियम द्वारा भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति कर दी गई और भारत तथा पाकिस्तान नाम के दो अधिराज्यों की स्थापना की गई। भारतीयों को संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण का अधिकार दिया गया।

अतः अन्त में कह सकते हैं कि समय की गति और परिस्थितियों के दबाव के कारण भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

Scanned with CamScanner